नौ लड़ी का हार पहन चांदी के सिंहासन पर विराजे गणेशजी

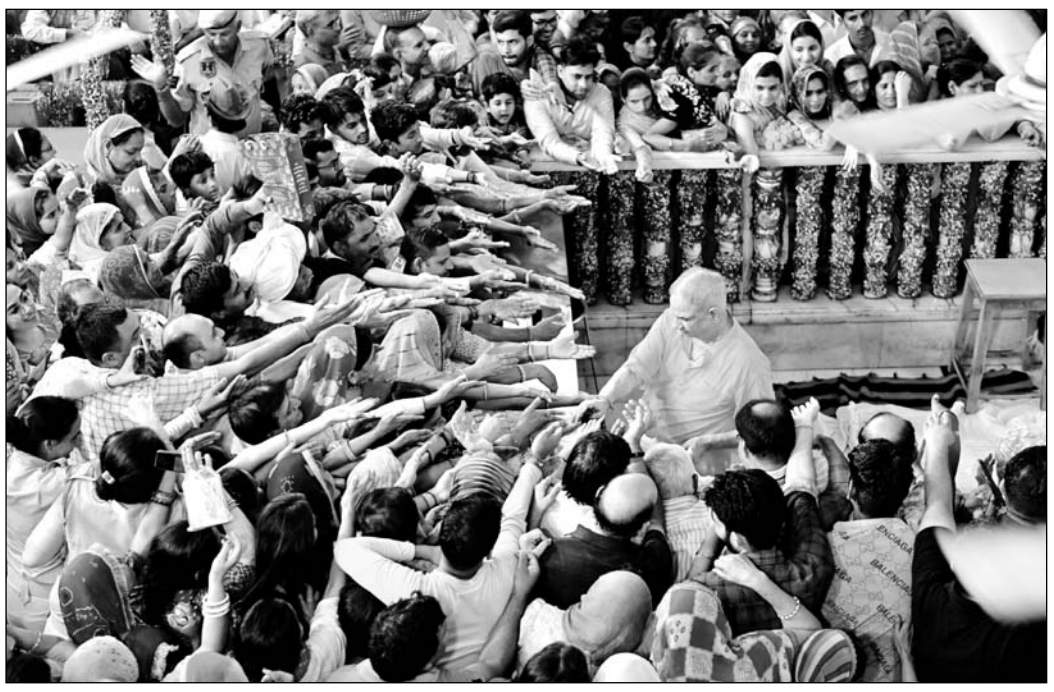

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सोमवार को सिंजारा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने प्रथम पूज्य को मेहंदी लगाई। इसके बाद भक्तों को 3 हजार किलो मेहंदी प्रसाद के रूप में वितरित की गई। पांच स्थानों पर मेहंदी वितरण की व्यवस्था की गई। मेंहदी लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। शाम को गणेशजी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया। गणेशजी महाराज को स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया। यह मुकुट केवल गणेश चतुर्थी को ही धारण कराया जाता है। महंत परिवार के पारंपरिक श्रृंगार में नौ लड़ी का नोलखा हार का भाव था। इसमें मोती, सोना, पन्ना माणक के भाव स्वरूप दर्शाए गए हैं। इसके बनाने में करीब तीन माह लगे। सिंजारे पर भगवान को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। विशेष पोशाक धारण कराई गई।

युवती की हत्यारे को आजीवन कारावास

जयपुर, (का.सं.)। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने वर्ष 2016 में विद्याधर थाना इलाके में एकतरफा प्रेम के चलते युवती की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त जयंत सोढ़ानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त के पिता राजेश सोढानी को साक्ष्य मिटाने के जुर्म में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने हर्षिता की धारदार हथियार से निर्दयता से हत्या कर उसके शव को शहीद पार्क सेक्टर-7 के पास एक खाली प्लॉट में पटक दिया। वहीं उसके पिता ने भी साक्ष्य मिटाने में उसका साथ दिया है। अभियुक्तों का यह कृत्य गंभीर है। ऐसे में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जा सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि 15 सितंबर 2016 को राकेश गुप्ता ने विद्याधर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी हर्षिता कल शाम सात बजे साइबर कैफे जाने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। वे रात के पौने दस बजे हर्षिता की तलाश में गए तो साइबर कैफे की दुकान बंद मिली। वहीं बाद में उसकी एक्टिवा दाना पानी रेस्टोरेंट के पास मिली। जिससे संदेह हुआ कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पड़ोस में रहने वाला लड़का जयंत उसकी बेटी को परेशान करता था और जबरन आए दिन उसका रास्ता रोकता था। वह कहता था कि या तो वह प्यार में खुद मर जाएगा या उसे मार डालेगा। उन्होंने जब जयंत से पूछा तो वह घबरा गया। उन्हें फोन पर सूचना मिली की शहीद पार्क के पास एक युवती की लाश मिली है। वे अपने परिवार के साथ गए तो उसकी बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर चोटें भी थीं। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जयंत को गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

किसानों को ठगने वाली इस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि पिछले 4 साल 8 माह में प्रदेश के करीब 20 हजार से अधिक किसानों की जमीनें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नीलामी की गई जिससे प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। झूठ और लूट वाली सरकार के 4 साल 8 माह के कुशासन में किसानों की बेशकीमती जमीनों की नीलामी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जमीन नीलाम करने वाली बैंकों द्वारा रिकॉर्डेड 82.42 करोड़ रुपये का तो केवल कमीशन राजस्व कार्मिकों को दिया गया। इसमें से 24.73 करोड़ का कमीशन पटवारियों को मिला है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के आदेश के अनुसार कुर्की के माध्यम से नीलाम होने वाली कृषि भूमियों की कीमत पर कुल 5 प्रतिशत कमीशन राजस्व कार्मिकों-पटवारी, गिरदावर, टीआरए, तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी को देने का प्रावधान है। इसमें से 1.5 प्रतिशत पटवारी, 1 प्रतिशत गिरदावर, 0.50 प्रतिशत टीआरए, 1.10 प्रतिशत तहसीलदार एवं 0.5 प्रतिशत उपखंड अधिकारी को कमीशन मिलता है। राठौड़ ने कहा कि सरकार किसानों को निरंतर गुमराह करती आ रही है कि उन्होंने किसानों का कर्जामाफ कर दिया है। लेकिन हकीकत में किसानों की कर्जमाफी तो दूर उनकी जमीनें भी नीलाम हो चुकी है। किसान कर्जमाफी की घोषणा के 10 दिन से लेकर आज 1700 दिन से ज्यादा हो गये हैं लेकिन राहुल गांधी की गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में श्रीगंगानगर के किसान सोहनलाल, हनुमानगढ़ के किसान सुरजाराम, करौली में किसान कमलराम मीणा सहित दर्जनभर किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा चुके हैं। सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी किसानों के कर्जमाफ हेतु सुझाव देने के लिए कल्ला कमेटी का गठन किया था जो अल्लाह को प्यारी हो गई। कर्जमाफी को दूर की कौड़ी है, किसानों को अब ना तो बिजली मिल रही है और ना ही सिंचाई के लिए पानी। किसानों को ठगने वाली इस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरु हो चुकी है।

राजेंद्र राठौड़ चूरू से 100 फीसदी हारेंगे : डोटासरा

- राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा को बताया था अहंकारी रावण

जयपुर, (का.प्र.)। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी रावण बताये जाने वाले बयान पर हैदराबाद से लौटने के बाद डोटासरा ने जवाब देते हुए कहा कि रावण विद्वान तो था ही। यह तो मानते हो। विद्वान ब्राह्मण था। ये राठौड़ चूकते नहीं हैं। कभी ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। कभी जाटों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। कभी किसी और ओबीसी के विरोध में टिप्पणी करते हैं।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कभी ये ओबीसी के अध्यक्ष को हटा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये बौखलाए हुए हैं। कुछ भी कह सकते हैं। प्रतिपक्ष का नेता केवल लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग करे और उसमें भी 3000 लोग हों। उस सभा में भी केवल गोविंद डोटासरा पर बोले। व्यक्तिगत कमेंट करें तो समझ सकते हैं इनकी हालत कितनी पतली है। यात्रा में कम से कम अपनी सरकार का विजन पेश करते। हमारी योजनाओं की कमी खामी बताते। मोदी की योजना की कोई खासियत बताते, लेकिन ये केवल मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते रहे। डोटासरा ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं। राजेंद्र राठौड़ इस बार चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो 100 फीसदी हारेंगे। इसीलिए बौखलाहट में व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। वो सीनियर हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। नहीं तो सुबह से शाम हो जाए।

मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका का निस्तारण

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका का सारहीन होने के चलते निस्तारण कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश दिए। याचिका में मुनेश गुर्जर ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि जिस निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, वह आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब याचिका पर आगे सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्य सरकार किसी तरह का कोई नया आदेश जारी करती है तो उसे नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में तय सीटें आरक्षित नहीं रखने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)।हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 में एससी और एसटी के लिए तय आरक्षण के अनुपात में सीटें आरक्षित नहीं रखने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से पूछा है कि क्यों ना भर्ती विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. राहुल मौर्य व अन्य की ओर दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गत 22 जून को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान सहित कुल 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली। याचिका में कहा गया कि आरक्षण नियमों के तहत प्रदेश की सरकारी सेवाओं में एसटी वर्ग को 12 फीसदी और एससी वर्ग को 16 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद इस भर्ती में आरपीएससी ने आरक्षण नियमों की अवहेलना की है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना और रोस्टर पाइंट को भी लागू नहीं किया गया है। याचिका में बताया गया कि इस भर्ती में भौतिक विज्ञान के कुल साठ पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में आरक्षण नियमों के तहत एसटी वर्ग के लिए 8 और एससी वर्ग के लिए 10 पद आरक्षित रखे जाने थे। जबकि आयोग ने एसटी वर्ग के लिए एक पद और एससी वर्ग के लिए 2 पद ही आरक्षित रखे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि गत भर्ती के बैकलॉग पद भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का संविधान प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना हुई है। इसलिए आरपीएससी को निर्देश दिए जाए कि वह इस भर्ती विज्ञापन को रद्द कर आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पदों का नए सिरे से निर्धारण कर भर्ती विज्ञापन जारी करे।

अब राज्य सरकार रिटायर कर्मचारियों को नहीं कर पायेगी परेशान

- सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से नहीं वसूल पायेगी गलती से अधिक भुगतान की गई राशि

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के वेयर हाउसिंह कॉर्पोरेशन से नौ साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से राज्य सरकार द्वारा सेवा के दौरान मिली अधिक राशि को वसूलने के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जयकुमार चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दीपक शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए।

मामले के तथ्य के अनुसार वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने राजस्थान वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के कुछ कर्मचारियों को, उनकी सेवानिवृत्त के नौ साल बाद, यह नोटिस जारी किया कि उनसे कुछ राशि वसूली जायेगी क्योंकि उनकी राज्य में सेवा के दौरान उन्हें गलती से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस नोटिस को जयपुर तथा जोधपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और दोनों ही अदालतों की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले की अपील भी राज्य सरकार ने दोनों अदालतों की खंडपीठ में की थी। जोधपुर हाईकोर्ट में 12 सितम्बर को राज्य सरकार की अपील को भी खारिज कर दिया गया और सोमवार को इसे जयपुर में भी राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों में आदेश स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से एक साल के अंदर ही राशि वसूली जा सकती है, अगर पांच साल से अधिक समय तक उन्हें अधिक राशि का लाभ मिला हो।

भाजपा किसान मोर्चा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं : चन्द्रशेखर

- कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी की जायेगी : हरिराम रणवां

जयपुर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओ.पी. यादव ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी रामनरेश तिवाड़ी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मोर्चा प्रदेश प्रभारी नारायण सिंह देवल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ एवं प्रदेश स्तरीय बैठक में मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, जिलाध्यक्ष, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सोशल मीडिया प्रदेश टीम एवं सोशल मीडिया जिला प्रभारी उपस्थित रहे।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने मोर्चे के प्रत्येक पदाधिकारियों से आव्हान किया कि वह अपने-अपने ग्राम स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ, किसान विरोधी इस कांग्रेस सरकार में किसानों के साथ हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठायें। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवां ने बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों की सम्पूर्ण कर्जामाफी की जायेगी, जो अभी तक नहीं की गई। आज भी किसान अपनी पूर्ण कर्जमाफी का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सरचार्ज, फ्यूल चार्ज ना बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही बिलों में वृद्धि करके किसानों की कमर तोड़ दी। साथ ही बिजली कटौती करके किसानों के साथ में धोखा किया। ऐसी निकम्मी सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश का किसान सबक सिखाएगा।

मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रामनरेश तिवाड़ी ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा को प्रत्येक बूथ स्तर पर केन्द्र सरकार की किसान जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे की हर एक किसान को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके।

34 साल पहले मामले में सजा कम की

जयपुर। हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 34 साल पहले पेश अपील का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को मिली सजा को कम करते हुए उसे भुगती हुई सजा तक सीमित कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि मामले में लगाया गया हर्जाना अभियुक्त दो माह में जमा नहीं कराता है तो उसे डिफॉल्ट सजा भुगतनी होगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर बैठक

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर की बैठक का आयोजन भाजपा जयपुर शहर कार्यालय पर आयोजित हुई। जिसमें बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राघव शर्मा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने की। बैठक 19 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी के स्वागत को लेकर की गई। जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया 19 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्वागत के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। तैयारियों में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी के स्वागत के लिए 5 पॉइंट निश्चित किए गए हैं जिसमें पहला पॉइंट एयरपोर्ट सांगानेर, दूसरा गांधी सर्किल, तीसरा ट्रांसपोर्ट नगर, और चौथा खोले के हनुमान जी, आमेर कुंडा रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यसमिति की बैठक लेंगे जो आमेर कुंडा स्थित होटल लीला में होगी। इसके बाद 20 मई को शाम 7 बजे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सुंदर सिंह जी भंडारी पुस्तक का विमोचन करेंगे। विमोचन कार्यक्रम बिरला सभागार में होगा। इन सभी की तैयारियों को लेकर जयपुर शहर कार्यालय में अरुण चतुर्वेदी और राघव शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भूल सुधार
दिनांक 17.09.2023 को दैनिक राष्ट्रदूत में कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर (राज.)क्रं:न.प.स.मा./मूशा/2023-24/3392 दि.: 15.9.2023 की ओर से प्रकाशित निविदा में क्र.सं. 15 में अनुप्रिया का खसरा नम्बर 187, क्र.सं. 21 में मुकेश सैनी का खसरा नम्बर 1706 व क्र. सं.24 साजिद का खसरा नम्बर 1706 पढा जावें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोती लाल मीणा पुत्र श्री बंशीलाल मीणा, निवासी 166, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, गुर्जर की थडी, जयपुर के है। चूंकि मेरे अभिभाष्य के पुत्र व पुत्रवधु वर्ष 2019 से अपने अलग निवास कर रहे है एवं मेरी व परिवार की किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे है एवं मेरे कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य से लडाई झगडा करते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र कमलेश व पुत्रवधु संगीता को अपनी उक्त सम्पत्ति व चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, इनसे मेरे अभिभाष्य का कोई लेना देना नहीं है। यदि भविष्य में कोई भी पुलिस मामला व न्यायालय में आता है या कोई इनसे संव्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, इनसे मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
जयपुर (महेन्द्र शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-18.09.2023 मो. 9828167300

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक: DHC-II/1884 दिनांक-18.09.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 102/05 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 200.00 वर्गमीटर/वर्गगज़ का आवंटन श्री रमेश चन्द्र काखानी पुत्र श्री रूपलाल काखानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 857 दिनांक 15.02.1992 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 07.03.1992 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3451 दिनांक 23.09.2000 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र काखानी पुत्र श्री रूपलाल काखानी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 25.09.2000 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री रमेश चन्द्र काखानी की मृत्यु दिनांक 31.12.2017 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी/पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी काखानी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द्र काखानी एवं श्री अक्षय केदार काखानी पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र काखानी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हक्त्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती लक्ष्मी देवी काखानी एवं श्री अक्षय केदार काखानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया पाया
राजस्थान आवासन मण्डल की आवास संख्या 175/05 MIG B प्रताप नगर, सांगानेर योजना की नियमितिकरण डॉक्यूमेंट जमा रसीद, डीमांड लेटर की जमा रसीद कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। अर्जुन दास लालवानी 9314214189

मेरे आवास 29/D/211, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल कब्जा पत्र, नोड्यूज, भौतिक कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। 9982834393

Loss of degree certificate and Transcript (mark sheet) certificate in transit from Devlali to jaipur, in respect of Shailendra Yadav S/o Janak Singh Yadav

नाम परिवर्तन
शादी से पूर्व मेरा नाम खुरशीद बानो था अब मेरा नाम खुरशीद Khurshed है। खुरशीद हादी मंजिल 1625/26 कमेला गली, एम.डी. रोड, जयपुर

I have changed my name from Devendra Kumar to Devendra Madhu S/o Lekhraj Madhu for all purpose R/o- 124, Taneja Block, Adarsh Nagar, Jaipur.

I have changed my name after marriage from Garima Wadhwani to Vadanya Thawani W/o Dilip Thawani for all future purpose. R/o 494, Bees Dukan, Ashok Chawk, Adarsh Nagar, Jaipur

I have Change my Name from Gurjar Vishvendra Shivram to Gurjar Vishvendra Therefore I will be known or Distinguished in Public By New Name of Gurjar Vishvendra, O Nagal Durgasi Jatwada Hindaun Karauli-322252, Rajasthan

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक 1250 दिनांक-13.09.2023
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 2/23 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी श्री भगवती प्रसाद साबू को आवंटन पत्रांक 498 दिनांक 13.05.1985 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा अन्तिम क्रेता श्रीमती कमलेश तंवर पत्नी श्री रामौतार सिंह के पक्ष में लीज स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 3103 दिनांक 13.03.2015 को जारी किया जा चुका है। श्रीमती कमलेश तंवर की मृत्यु दिनांक 16.05.2021 को हो चुकी है।
श्रीमती कल्पना तंवर ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्रीमती कमलेश तंवर की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं अन्य वारिसानों का पंजीकृत हक्त्याग प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इनकी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 16.05.2021 को हो जाने के कारण उपरोक्त मकान संख्या 2/23 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी का मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तान्तरण उनके नाम किया जाये।
अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 2/23 पुरानी कॉलोनी भिवाडी के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियां, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती कल्पना तंवर पुत्री श्री रामौतार सिंह तंवर पत्नी श्री विकास कुमार के पक्ष में उपरोक्त मकान संख्या 2/23 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत हक्त्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
नाम न्यायालय ADKJ No.2 जयपुर जिला जयपुर
गोपाललाल विरूद्ध शीला वगैरह
अपील 01 सन् 2022
...के न्यायालय की तारीख...को...का अपील नाम एम.एस. कविया (माधोसिंह कविया) पुत्र जी.डी. कविया जाति चारण स्थान सी-1, सुभाष कॉलोनी, शस्त्री नगर, जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में....की अपील...द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा ता. 26 माह 09 सन् 2023 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो वह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चत की जावेगी। यह आज तारीख 14 माह 09 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर के और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-रीडर ग्ररम-1
मोहर अदालत
अपर जिला न्यायाधीश क्रम-2
जयपुर जिला जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
क्रमक वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या-4 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम
मैसर्स जयपुर बैंट्री हाउस एवं अन्य
वाद बाबत वसूली - 9,43,717.00/- रूपये
वाद संख्या - 466 सन् 2022
बनाम (1) मैसर्स जयपुर बैंट्री हाउस एक भागीदारी फर्म कार्यालय दुकान संख्या -2, प्लॉट नं. 41, ट्रान्सपोर्ट नगर अर्जुन लाल सेठी नगर जयपुर 302004 एवं प्लॉट नं.-28, आवासीय योजना बालाजी नगर -बी, मंगलम ग्राम बाढमोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर एवं प्लॉट संख्या -2 कल्याण कॉलोनी खातीपुरा रोड जयपुर जरिये श्री जय कुमार जैन एवं राजेश कुमार (2) श्री जय कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चन्द जैन भागीदार जयपुर बैंट्री हाउस निवासी दुकान संख्या -2, प्लॉट नं. 41, ट्रान्सपोर्ट नगर अर्जुन लाल सेठी नगर जयपुर 302004 एवं प्लॉट नं.-28, आवासीय योजना बालाजी नगर -बी, मंगलम ग्राम बाढमोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर एवं माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर (3) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सोना राम भागीदार जयपुर बैंट्री हाउस निवासी दुकान संख्या -2, प्लॉट नं. 41, ट्रान्सपोर्ट नगर अर्जुन लाल सेठी नगर जयपुर -302004 एवं प्लॉट संख्या -2 कल्याण कॉलोनी खातीपुरा रोड जयपुर
वादी बैंक ने आपके विरूद्ध वसूली के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 09 सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 10 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से रीडर
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम - 4 जयपुर
सील

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान ADJ क्रम सं. 10 स्थान सांगानेर, जयपुर
प्रिया देवी विरूद्ध रवि यादव एवं अन्य
वाद बाबत C.S.
वाद संख्या 72 सन् 2023
बनाम रवि यादव पुत्र आजुद्दीन प्रसाद जाति यादव पता 80/254 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर में प्रिया देवी ने आपके विरूद्ध... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह 9 सन् 2023 दिन में 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित